न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 117/2011/ जिला–अजमेर (2011/00083)

1. केसर सिंह पुत्र सुजान सिंह पुत्र हरनाथ सिंह (मृतक) जरिये वारिसान :–
   1/1 सायर कंवर पत्नी केसर सिंह
   1/2 भंवर सिंह पुत्र केसर सिंह
   1/3 उच्छब कंवर पुत्री केसर सिंह
   1/4 दातार सिंह पुत्र केसर सिंह
   1/5 रघुनाथ सिंह पुत्र केसर सिंह
   1/6 भगवान सिंह पुत्र केसर सिंह
   1/7 प्रेम कंवर पुत्री केसर सिंह
   1/8 मैना कंवर पुत्री केसर सिंह
   1/9 समझ कंवर पुत्री केसर सिंह
   1/10 करतार सिंह पुत्र केसर सिंह
   1/11 लाड कंवर पुत्री केसर सिंह
   स्व0 श्री केसर सिंह पुत्र सुजान सिंह पुत्र हरनाथ सिंह जाति राजूपत निवासी ग्राम खोरी तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

———अपीलांट्स

बनाम

1. श्री मोड सिंह पुत्र सुजान सिंह पुत्र धूल सिंह
2. श्री हरि सिंह पुत्र सुजान सिंह पुत्र धूल सिंह (मृतक) जरिये वारिसानः–
   2/1 चांद कंवर पत्नी स्व0 हरि सिंह
   2/2 रूप सिंह पुत्र स्व0 हरि सिंह
   2/3 चतर सिंह पुत्र स्व0 हरि सिंह
   2/4 शैतान सिंह पुत्र स्व0 हरि सिंह
   2/5 सरे कंवर पुत्री हरि सिंह
3. करण सिंह पुत्र सुजान सिंह पुत्र धूल सिंह
4. श्रीमति गुमान कंवर
5. श्रीमति मोहन कंवर
   पुत्रियां सुजान सिंह पुत्र श्री धूल सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण नयाशहर किशनगढ़ जिला अजमेर।

————रेस्पोन्डेन्ट्स

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय अपर कलक्टर, अजमेर दिनांक 16–06–2008
अपील संख्या 09/2008 बउनवान श्री मोड सिंह व अन्य बनाम
श्री केसर सिंह

उपस्थित– 1. श्री खडग सिंह अभिभाषक, अपीलांट्स
2. श्री विजेन्द्र सिंह, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः– 11.5.2018

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मदनगंज तहसील किशनगढ़ में स्थित विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 336 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 337/1 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 339 रकबा 6 बीघा कुल किता 3 रकबा 21 बीघा 5 बिस्वा क रेकार्डेड खातेदार काश्तकार अपीलांट के पिता सुजान सिंह जाति राजपूत निवासी किशनगढ़ थे जिनकी मृत्यु के पश्चात अपीलांट केसर सिंह द्वारा एक प्रार्थना पत्र मय सजरा तहसीलदार किशनगढ़ के समक्ष पेश किया । इसी प्रकार रेस्पोन्डेन्ट्स ने भी एक प्रार्थना पत्र विरासत का इन्तकाल तस्दीक करने हेतु अपने आपको सुजान सिंह का पुत्र बताते हुए बिना किसी सजरे के प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने दोनों प्रार्थना पत्रों की पटवारी हलका से जांच करवाई व रेस्पोन्डेन्ट मोड सिंह के पिता सुजान सिंह की वल्दियत धूल सिंह होने के कारण उन्हें सुजान सिंह का वारिस नहीं होना बताया। राजस्व रेकार्ड में विवादग्रस्त आराजियात सुजान सिंह पुत्र हरनाथ सिंह के नाम दर्ज थी। तहसीलदार ने अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर जांच करवाकर तस्दीक सजरे के अनुसार अपीलांट केसर सिंह को सुजान सिंह का पुत्र होने के नाते उसकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1491 दिनांक 2–4–2008 स्वीकृत कर दिया। उक्त नामान्तरकरण आदेश के विरूद्ध रेस्पोन्डेन्ट मोड सिंह आदि ने एक अपील अपर कलक्टर, अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत की जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने अपील को विधिविरूद्ध तरीके से स्वीकार कर अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान न कर रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तत दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर नामान्तरकरण संदिग्ध होना मानते हुए अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–6–2008 द्वारा खारिज कर प्रकरण तहसीलदार, किशनगढ़ को दोनों पक्षों की सुनवाई कर नये सिरे से निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट अभिभाषक द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि विवादग्रस्त आराजियात के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार सुजान सिंह वल्द हरनाथ सिंह कौम राजपूत थे ग्राम मदनगंज की जमाबंदी सम्वत 2060–2063 से पूर्णतया स्पष्ट है। अपीलांट के पिता स्व0 सुजान सिंह पुत्र हरनाथ की मृत्यु दिनांक 27–8–1986 को हो चुकी है तथा अपीलांट के पिता के नाम मदनगंज के खाता संख्या 555 में दर्ज विरासत का नामान्तरकरण अपीलांट के नाम दर्ज करने

हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार किशनगढ़ ने जांच पश्चात सजरा, शपथ पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर अपीलांट के पक्ष में विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1491 दिनांक 29–3–2008 स्वीकृत कर दिया। भू.अ. निरीक्षक किशनगढ़ द्वारा दिनांक 21–3–2008 को जांच की गई। तत्पश्चात रेस्पोन्डेन्ट मोड सिंह, किरण सिंह, हरि सिंह पुत्र सुजान सिंह द्वारा भी मदनगंज किशनगढ के खसरा नम्बर 336, 337, 339 कुल रकबा 21 बीघा 5 बिस्वा बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रेस्पोन्डेन्ट्स के पक्ष में विरासत का नामान्तरकरण दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया जिस पर रेस्पोन्डेन्ट के प्रार्थना पत्र की जांच की गई जिसमें रेस्पोन्डेन्ट्स के पिता का नाम सुजान सिंह पुत्र धूल सिंह यानि रेस्पोन्डेन्ट्स के दादा का नाम धूल सिंह है तथा विधान सभा निर्वाचन नामावली 1980 के भाग संख्या 77 मतदान केन्द्र संख्या 77 की क्रम संख्या 697 मकान नम्बर 59 में सुजान सिंह, धूल सिंह पु0–59 क्रम संख्या 698 पर उच्छव कंवर/सुजान सिंह स्त्री–49 क्रम संख्या 699 पर मोड सिंह/सुजान सिंह पु0–26 व क्रम संख्या 700 हरि सिंह/सुजान सिंह पुत्री–24 व क्रम संख्या 1 पर निर्मला/मोड सिंह स्त्री 24 दर्ज था। इस प्रकार रेस्पोन्डेन्ट्स के परिवार के सभी पात्र मतदाताओं का निर्वाचन नामावली में नाम दर्ज है जिसमें परिवार के मुख्या एवं रेस्पोन्डेन्ट्स के पिता का नाम सुजान सिंह/धूल सिंह दर्ज था न कि सुजान सिंह पुत्र हरनाथ सिंह इस प्रकार दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों की पूर्णरूप से जांच करने के पश्चात प्रथम प्रार्थना पत्र केसर सिंह द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थना पत्र के आधार पर नियमानुसार अपीलांट केसर सिंह को वारिस मानते हुए उसके पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 1491 दिनांक 2–4–2008 तस्दीक कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध रेस्पोन्डेन्ट्स ने अपर कलक्टर अजमेर के यहां अपील की जिसे उन्होंने अपने अपलाधीन आदेश दिनांक 16–6–2008 द्वारा निरस्त कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि अधिनस्थ न्यायालय अपर कलक्टर अजमेर के समक्ष रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत अपील संधारण योग्य नहीं थी, चूंकि तहसीलदार किशनगढ़ के समक्ष अपीलांट व रेस्पोन्डेन्ट दोनों के द्वारा अपने–अपने नाम विरासत के आधार पर नामान्तरकरण खोलने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये थे ऐसी स्थिति में उक्त विवादित नामान्तरकरण आदेश राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) के तहत पारित किया था जिसके तहत धारा 75(1)(एफ) के तहत प्रथम अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त/अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के समक्ष संधारण योग्य थी जैसा कि न्यायिक दृष्टांत आर.एल. डब्लयू–2004 राजस्थान पेज–551 व 2004, आर.आर.डी पेज 101 व 2004, आर. बी.जे. पेज 96 व 2004 (1) आर.आर.टी. पेज 380 से पूर्णतया स्पष्ट है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश दिनांक 16–6–2008 पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्वीकार किया है कि रेस्पोन्डेन्ट द्वारा किया गया क्लेम पटवारी हलका द्वारा की

गई जांच रिपोर्ट के आधार पर संदेहास्पद प्रतीत होता है। इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोन्डेन्ट की अपील को स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। तहसीलदार किशनगढ़ के समक्ष पूर्ण रूप से यह साबित हो गया था कि विपक्षी रेस्पोन्डेन्ट मोडसिंह, हरी सिंह, किरण सिंह के पिता का नाम सूजान सिंह एंव दादा का नाम धूल सिंह ही था। राजस्व रेकार्ड में भी सुजान सिंह पुत्र धूल सिंह राजपूत अंकित है। सुजान सिंह पुत्र धूल सिंह द्वारा दिनांक 18–3–1959 को लिखे गये स्टॉम्प के अंकित खसरा नम्बर 568 की रिपोर्ट से पुष्टि हेतु तहसील कार्यालय में जमा ग्राम किशनगढ़ की खसरा गिरदावरी सम्वत 2010 से 2013 जिसमें खसरा नम्बर 568 व अन्य खसरों में सुजान सिंह पुत्र धूल सिंह अंकित है। अपीलांट द्वारा सारे सबूत अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर कथन कर दिया था कि रेस्पोन्डेन्ट ने सुजान सिंह की वल्दियत का गलत अंकन किया है व हलका पटवारी द्वारा करवाई गई जांच के आधार पर सजरा व मृत्यु प्रमाण पत्र भी संदिग्ध है उक्त तथ्यों के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर विधिविरूद्ध आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि श्रीमान् के न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अपील में अपीलांट केसर सिंह का देहान्त होने पर अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत कर केसर सिंह के वारिसान को रेकार्ड पर लेने का निवेदन किया जिस पर रेस्पोन्डेन्ट द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इसके पश्चात रेस्पोन्डेन्ट द्वारा भी एक कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनकर दोनों प्रार्थना पत्रों को स्वीकार कर मृतकों के वारिसान को रेकार्ड पर लेने का आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोन्डेन्ट द्वारा जब तक श्रीमान् के न्यायालय द्वारा पारित कायम मुकाम प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के आदेश को चुनौती देकर निरस्त नहीं करवा दिया जाता है तब तक रेस्पोन्डेन्ट द्वारा कहे गये कथन व बहस निराधार एवं तथ्यों के विपरीत होने से तथा रेस्पोन्डेन्ट के कथन चलने योग्य नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस स्वीकार की जाकर अपर कलक्टर अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–6–2008 खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलांट अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट्स के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया कि विवादग्रस्त आराजियात उनके पिता की खातेदारी की भूमि थी तथा रेस्पोन्डेन्ट्स मृतक के विधिक वारिस है। अपीलांट ने मृतक की विवादित भूमि हड़पने की नियत से एक नामान्तरकरण अपने पक्ष में स्वीकृत कराने बाबत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। अपीलांट द्वारा अपने पिता की मृत्यु दिनांक 27–8–1986 को होना अंकित करते हुए सजरा प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटों प्रतियां, नकल जमाबदी एवं स्वयं का शपथ पत्र संलग्न किये है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में न तो ग्राम का नाम अंकित किया गया है तथा न ही खसरा नम्बरों का अंकन है। तहसीलदार

किशनगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र मार्क करने के पश्चात भू.अ.शाखा में प्रार्थना पत्र का न तो इन्द्राज है तथा पटवारी हलका के पास कब भेजा तथा पटवारी हलका द्वारा रिपोर्ट कब अंकित की गई उसमें भी तारीख का अंकन नहीं है। अपीलांट द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर गलत रिपोर्ट करवाकर नामान्तरकरण अपने नाम स्वीकृत करवा लिया। अपीलांट द्वारा मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र जो दिनांक 23–8–2008 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया है वह झूठा है। ग्राम खोरी निवासी सुजान सिंह की मृत्यु 40 वर्ष पूर्व ही हो चुकी है जिसकी पुष्टि राजस्व रेकार्ड से होती है। इसके अतिरिक्त ग्राम खोरी निवासी मृतक सुजान सिंह के पिता का नाम तेज सिंह है तथा इनके वारिसान रेस्पोन्डेन्ट के अतिरिक्त श्री गणपत सिंह तीन पुत्रियां चांद बाई, भंवर बाई एवं एक अन्य है। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा जारी सजरा प्रमाण पत्र में अपीलांट की उम्र 82 वर्ष अंकित है जबकि उसी दिन उनके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में उम्र 70 वर्ष अंकित की गई है। जो अपने आप में विरोधाभासी है। पटवारी हलका ने अपनी रिपोर्ट में अपीलांट के पिता को एच.एच. सुमेर सिंह के यहां नौकरी करना बताते हुए लगभग 28–30 वर्ष पूर्व किशनगढ़ छोड़ देना अंकित किया है जबकि एच.एच. सुमेर सिंह की मृत्यु एन् 1971 में ही हो चुकी थी। उक्त तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–6–2008 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जावे तथा अपीलांट की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की लिखित बहस एवं मौखिक बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार, किशनगढ़ द्वारा अपीलांट के पक्ष में विरासतन नामान्तरकरण संख्या 1491 दिनांक 2–4–2008 स्वीकृत किया गया था। उक्त नामान्तरकरण की अपील रेस्पोन्डेन्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। रेस्पोन्डेन्ट्स ने उक्त अपील में तहसीलदार किशनगढ़ को पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि वह भूमिधारी होने के कारण एक आवश्यक पक्षकार थे जिनको विवादग्रस्त आराजियात बाबत पूर्ण जानकारी थी। अपीलांट एवं रेस्पोन्डेन्ट्स द्वारा विवादग्रस्त आराजियात पर अपना हक व अधिकार बताया जा रहा है। पटवारी हलका द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 1–4–2008 में उल्लेखित किया है कि विवादग्रस्त आराजियात के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार सुजान सिंह वल्द हरनाथ सिंह कौम राजपूत थे ग्राम मदनगंज की जमाबंदी सम्वत 2060–2063 से पूर्णतया स्पष्ट है। अपीलांट के पिता स्व0 सुजान सिंह पुत्र हरनाथ की मृत्यु दिनांक 27–8–1986 को हो चुकी है तथा अपीलांट के पिता के नाम मदनगंज के खाता संख्या 555 में दर्ज विरासत का नामान्तरकरण अपीलांट के नाम दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर तहसीलदार किशनगढ़ ने जांच पश्चात सजरा, शपथ पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर अपीलांट के पक्ष में विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1491 दिनांक 29–3–2008 स्वीकृत कर दिया गया। भू.अ.निरीक्षक किशनगढ़ द्वारा

दिनांक 21–3–2008 को जांच की गई। तत्पश्चात रेस्पोन्डेन्ट मोड सिंह, किरण सिंह, हरि सिंह पुत्र सुजान सिंह द्वारा भी मदनगंज किशनगढ के खसरा नम्बर 336, 337, 339 कुल रकबा 21 बीघा 5 बिस्वा बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रेस्पोन्डेन्ट्स` पक्ष में विरासत का नामान्तरकरण दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया जिस पर रेस्पोन्डेन्ट के प्रार्थना पत्र की जांच की गई जिसमें रेस्पोन्डेन्ट्स के पिता का नाम सुजान सिंह पुत्र धूल सिंह है तथा विधान सभा निर्वाचन नामावली 1980 के भाग संख्या 77 मतदान केन्द्र संख्या 77 की क्रम संख्या 697 मकान नम्बर 59 में सुजान सिंह, धूल सिंह पु0–59 क्रम संख्या 698 पर उच्छव कंवर/सुजान सिंह स्त्री–49 क्रम संख्या 699 पर मोड सिंह/सुजान सिंह पु0–26 व क्रम संख्या 700 पर हरि सिंह/सुजान सिंह पुत्र–24 व क्रम संख्या 1 पर निर्मला/मोड सिंह स्त्री 24 दर्ज था। इस प्रकार रेस्पोन्डेन्ट्स के परिवार के सभी पात्र मतदाताओं का निर्वाचन नामावली में नाम दर्ज है जिसमें परिवार के मुख्या एवं रेस्पोन्डेन्ट्स के पिता का नाम सुजान सिंह/धूल सिंह दर्ज था न कि सुजान सिंह पुत्र हरनाथ सिंह इस प्रकार दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों की पूर्णरूप से जांच करने के पश्चात प्रथम प्रार्थना पत्र केसर सिंह द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थना पत्र के आधार पर नियमानुसार अपीलांट केसर सिंह को वारिस मानते हुए उसके पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 1491 दिनांक 2–4–2008 तस्दीक कर दिया। उक्त स्थिति से तहसीलदार द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण स्पष्ट रूप से विवादित प्रतीत होता है। उक्त विवादित नामान्तरकरण की अपील अधिनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष संधारित योग्य नहीं थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि तहसीलदार पारित अविवादित नामांतरकरण आदेश के विरूद्ध अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (1) जिला कलक्टर/अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय को धारा 75 (1) (2) के अन्तर्गत प्रदत्त है और तहसीलदार ने भू अभिलेख अधिकारी की हैसियत से धारा 135 (2) के अन्तर्गत विवादित नामांतरकरण प्रकरण में आदेश पारित किया है तो उस विवादित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील की सुनवाई का अधिकार धारा 75 (1) (F) अन्तर्गत निदेशक, भू अभिलेख जिसके क्षैत्राधिकार संभागीय आयुक्त/ अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को प्रदत्त किये गये है। नामान्तरकरण एक फिस्कल प्रोसिडिंग्स है जिसमें किसी के हक एवं अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है। नामान्तरकरण विवादित भूमि में कोई हित या स्वामित्व उत्पन्न नहीं करता है। नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में वसीयत, गोद, उत्तराधिकार के जटिल विवाधक का विनिश्चय करना संभव नहीं होता है। पक्षकारों को अपने हक व उत्तराधिकार के लिए सक्षम न्यायालय में घोषणा का दावा कर लाभ प्राप्त करना चाहिए। उक्त विवादित नामान्तरकरण संख्या 1491 दिनांक 2–4–2008 की अपील अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष संधारण योग्य नहीं

होने पर भी उनके द्वारा क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–6–2008 अन्तर्गत अपील संख्या 09/2008 बउनवान श्री मोड सिंह व अन्य बनाम श्री केसर सिंह विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर